न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : 2019/05

1. श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री श्रवण लाल, जाति मीणा निवासीनी ग्राम खातीपुरा उर्फ कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–वादीगण –

बनाम

1. गोपाल
2. छोटू पुत्रान् काना
3. राजा देवी पत्नी श्री रामफूल
4. रामकुवार पुत्र श्री जगदीश
5. भूली बेवा जगदीश
6. गंगाराम पुत्र घीस्या
7. नाथूराम पुत्रान् घीस्या

   समस्त जाति मीणा, समस्त निवासीगण खातीपुरा उर्फ कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जिला–जयपुर
8. भजनी पत्नी श्री मिठ्ठुलाल पुत्री श्री घीस्या
9. मांगी पत्नी श्री चतरू पुत्री श्री घीस्या

   जाति–मीणा, निवासीगण ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू–अभिलेख) सांगानेर, जिला जयपुर
11. पंजाब नेशनल बैंक जरिये प्रबन्धक शाखा सिरोली, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण –

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक

निर्णय –

वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व वाद का संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है: कि भूमि खसरा नंबर 754/1227 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 755 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 756 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 757 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 758 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 759 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 760 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नंबर 761 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 765 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नंबर 766 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा नंबर 767 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नंबर 776 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:24:43 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर, खसरा नंबर 778 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 779 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 780 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 16 कुल क्षेत्रफल 6.50 हैक्टेयर स्थित ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर पटवार हल्का जयपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, उक्त भूमि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 कि शामलाती खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में वादिया का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा और प्रतिवादी संख्या 4 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 5/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 5/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/36 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 9 का 1/36 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। आस–पास की जमीनों में आवासीय विकास प्रगति पर है वादिया के सहखातेदार अर्थात प्रतिवादीगण आये दिन लोगो को अपनी भूमि बेचने के उद्देश्य से दिखाते रहते है वादिया ने प्रतिवादीगण को कहा कि वे जमीन बेचने से पहले बंटवारा करवा ले ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो इस पर प्रतिवादीगण ने सहमति से बंटवारा करने के लिए मना कर दिया। दिनांक 16.12.2018 को कुछ लोग प्रतिवादी संख्या–6 व 7 के साथ वादग्रस्त भूमि पर आये वह खरीद फरोख्त की बात करने लगे तो वादिया ने उन्हे स्पष्ट कहा कि अभी उक्त भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है इसलिये जब तक बंटवारा ना हो आप भूमि की खरीद फरोख्त ना करे अन्यथा विवाद में उलझना होगा। इस पर प्रतिवादी संख्या–6 व 7 नाराज हो गये और ऐलानिया धमकी दी कि हम जमीन बेचेगें और निर्माण करके रहेगें तुम्हारे को जो करना हो वह कर लेना। वादिया वादग्रस्त भूमि की सहखातेदारान् है। जिन्हें बंटवारा कराने का अधिकार प्राप्त है तथा वादिया को यह भी अंदेशा है कि प्रतिवादीगण बिना बंटवारा कराये वादग्रस्त भूमि का बेचान कर देगें तो वादिया के वैध अधिकारो का हनन होगा तथा जबरदस्ती निर्माण करने का प्रयास करने पर झगडा फसाद व अनावश्यक मुकदमें बाजी भी बढेगी, इसलिये वादिया को यह दावा वास्ते बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा दायर कराना आवश्यक हुआ है। दावे के लिए वादकारण दिनांक 16.12.2018 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 6 व 7 ने सहमति से बंटवारा करने के लिए मना कर दिया तथा अवैध रूप से बेचान कर निर्माण करने की धमकी दी।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादिया का वाद डिक्री किया जाकर कब्जा काश्त के आधार पर वादग्रस्त भूमि का बंटवारा किये जाने की डिक्री पारित कि जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक बंटवारा आदेश इन्द्राज दर्ज रिकॉर्ड कराया जावे तथा लगान भी अलग–अलग कायम कराया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 को पाबंद किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि का किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से बंटवारा किये जाने तक न तो हस्तान्तरित करे, न ही कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Goyal
Date: 2020.12.15 14:24
Reason: SelfAttested

सौपे और ना ही कोई निर्माण कार्य करे, तथा ना ही वादिया के कब्जे–काश्त एवं उपयोग–उपभोग में कोई बाधा पहुंचाये।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ नकल हाल जमाबंदी खाता संख्या नया 1 पुराना 2 व नक्शा ट्रेस संवत् 2040–41 सन् 1983–84 ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा पटवार हल्का जयपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर पेश किये जो संलग्न पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 11 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयें। प्रतिवादी संख्या 11 को जवाब दावे हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नही करने पर जवाब दावा का अवसर बंद किया गया।

बहस वादपत्र पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड वादग्रस्त आराजीयात के तकासमें हेतु निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद बाबत् तकासमा पेश किया गया है जिसमें वादीया एवम् प्रतिवादीगण सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड जिनके मध्य अभी तक विधिवत तकासमा नही हुआ है। ऐसे में वादग्रस्त आराजीयात का तकासमा किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीया का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात हाल खसरा नंबर 754/1227 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 755 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 756 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 757 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 758 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 759 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 760 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नंबर 761 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 765 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नंबर 766 रकबा 0.79 हैक्टेयर, खसरा नंबर 767 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नंबर 776 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 777 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नंबर 778 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 779 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नंबर 780 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 16 कुल क्षेत्रफल 6.50 हैक्टेयर स्थित ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा, पटवार हल्का जयपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड विधि सम्मत ''बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स'' उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता व लगान कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में नियत पेशी से पूर्व भिजवायें।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish
Goyal
Date: 2020.12.15 14:24
Reason: SelfAttested

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/20/2603 दिनांक 14.09.2020 कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस भिजवाई जो दिनांक 16.09.2020 को पत्रावली में शामिल पत्रावली की गई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	काश्तकार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	रामप्यारी पत्नी श्रवणलाल जाति मीणा सा0देह खातेदार	765	0.7100	बारानी 1	
		766 मिन	0.7800	बारानी 1	
		767 मिन	0.6800	बारानी 1	
	योग	किता 3	2.1700		
2	गोपाल पुत्र काना हिस्सा 1/6, छोटू पुत्र काना हिस्सा 1/6, राजा देवी पत्नी रामफूल हिस्सा 1/6, रामकुमार पुत्र जगदीश हिस्सा 1/16, गंगाराम पुत्र घीस्या हिस्सा 1/8, नाथूराम पुत्र घीस्या हिस्सा 1/8, भूली पत्नी जगदीश 1/16, तीजा पत्नी घीस्या 1/8	766 मिन	0.0100	बारानी 1	
		767 मिन	0.0300	बारानी 1	
		754/1227	0.0400	बारानी 1	
		755	0.0700	बारानी 1	
		756	0.1000	बारानी 1	
		757	0.4900	बारानी 1	
		758	0.5200	बारानी 1	
		759	0.5000	बारानी 1	
		760	0.5900	बारानी 1	
		761	0.5300	बारानी 1	
		776	0.0300	जाव 1	
		777	0.6100	चाही 2 जाव 2	
		778	0.2800	चाही 2 जाव 2	
		779	0.2700	चाही 2 जाव 2	
		780	0.2600	चाही 2	
	योग	किता 15	4.3300		

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट नियत की गई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6, 8, 9 के विरूद्व दिनांक 01.08.2019, प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व दिनांक 03.09.2019, प्रतिवादी संख्या 1 व 7 के विरूद्व दिनांक 24.10.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में सहवन से वादीया रामप्यारी देवी के आगे राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिरोली नोट अंकित नही किया गया। तथा रिकॉर्डेड खातेदार तीजा देवी की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान पत्रावली में पूर्व से ही रिकॉर्ड पर है। जो प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के रूप में पक्षकार बनाये गये है। परन्तु तहसीलदार सांगानेर ने सहवन से कुर्रेजात रिपोर्ट में तीजा देवी का रिकॉर्ड के अनुसार नाम अंकित कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बैंक का रहन का नोट व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिस्सा बट्टा व डिक्री पारित करने की कृपा करें। मृतक तीजा के वारिसान जो पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Goyal
Date: 2020.12.15 14:24:4
Reason: SelfAttested

से रिकॉर्ड पर है। प्राप्त कुर्रेजात में क्रम संख्या 2 में तीजा का हिस्सा उनके वारिसान में विभाजित कर संशोधन करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र का मय दस्तावेजात, प्रस्तुत रिकॉर्ड व कुर्रेजात रिपोर्ट अवलोकन किया गया। न्यायहित में प्रार्थीया अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार कुर्रेजात रिपोर्ट में संशोधन किया जाता है। संशोधित कुर्रेजात रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

संशोधित कुर्रेजात रिपोर्ट :–

क्र.सं.	काश्तकार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	रामप्यारी पत्नी श्रवणलाल जाति मीणा सा0देह खातेदार (राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिरोली)	765 766 मिन 767 मिन	0.7100 0.7800 0.6800	बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1	
	योग	किता 3	2.1700		
2	गोपाल पुत्र काना हिस्सा 1/8, छोटू पुत्र काना हिस्सा 1/8, राजा देवी पत्नी रामफूल हिस्सा 1/8, रामकुमार पुत्र जगदीश हिस्सा 1/16, , भूली पत्नी जगदीश 1/16, गंगाराम पुत्र घीस्या हिस्सा 5/24, नाथूराम पुत्र घीस्या हिस्सा 5/24, भजनी पुत्री घीस्या हिस्सा 1/24, मांगी पुत्री घीस्या हिस्सा 1/24	766 मिन 767 मिन 754/1227 755 756 757 758 759 760 761 776 777 778 779 780	0.0100 0.0300 0.0400 0.0700 0.1000 0.4900 0.5200 0.5000 0.5900 0.5300 0.0300 0.6100 0.2800 0.2700 0.2600	बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 जाव 1 चाही 2 जाव 2 चाही 2 जाव 2 चाही 2 जाव 2 चाही 2	
	योग	किता 15	4.3300		

अतः तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अलग–अलग खाता व लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। कुर्रेजात रिपोर्ट नक्शा ट्रेस इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Goyal
Date: 2020.12.15 14:24:43
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर ब इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

रामप्यारी बनाम गोपाल वगै.

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – 05/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतेई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील ....f.................. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अलग–अलग खाता व लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। कुर्रेजात रिपोर्ट नक्शा ट्रेस इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाती है।

निज ....f.......... मुबलिग ....f....... बाबत् ....f.........
...... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ....f......... फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....f......... का अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.11.2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान		00			

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.12.15 14:24:43 IST
Reason: SelfAttested